सहारा धनवृष्टि – जीवन बीमा

एकल प्रीमियम धन वापसी बंदोबस्ती

बीमा लाभ रहित योजना

(UIN : 127N027V01)

(सहारा लाइफ परिवार मे स्वागत)

योजना:-

सहारा धनवृष्टि - जीवन बीमा एक लाभ रहित एकल प्रीमियम धन वापसी बन्दोबस्ती योजना है, जिसमें एक बार प्रीमियम भुगतान पर पूर्णावधि तक जोखिम वहन का लाभ है। यह योजना न ही अदृश्य घटनाओ के विरूद्ध वित्तीय सुरक्षा प्रदान करती है साथ ही बीमा धन का निश्चित प्रतिशत नियमित अंतराल पर वापसी करने के साथ चयनित अवधि तथा, बीमाधन आधार पर पूर्णावधि पर गारन्टीड एडीशन के साथ भुगतान की गई प्रीमियम की वापसी का प्रावधान प्रदान करती है। यह योजना, पूंजी की सुरक्षा तथा नियमित अंतराल पर धन वापसी के कारण, उन लोगो के लिये भी लाभप्रद है जो अपने बच्चो की शिक्षा तथा समय-समय पर वित्तीय व्यय की आवश्यकता अनुभव करते है। यह सब तभी पूर्ण हो सकता है जब वित्तीय आवश्यकताओ के साथ उपयुक्त वित्तीय योजना समय से पूर्व सृजित की जाय। यह तभी संभव है जब पूंजी सुरक्षा तथा सम्पत्ति सृजन करने वाली योजनाओं में निवेश किया जाय। यह "सहारा लाइफ" की योजना तरलता के साथ उन ग्राहको के लिये उपयुक्त है जो जोखिम वहन जीवन की सुरक्षा तथा भविष्य में निवेश के लिये सुअवसर के लिये रकम एकत्रित करना चाहते है योजना सम्पूर्ण अवधि मे नियमित प्रीमियम भुगतान के भार के बिना एकल प्रीमियम में समस्त लाभ प्रदान करती है। अतः आज ही निवेश कर पूर्णावधि पर एक मुश्त रकम तथा नियमित अंतराल पर धन वापसी का लाभ प्राप्त करें।

योजना विवरण:-

प्रवेश पर न्यूनतम आयु	9 वर्ष (निकटतम जन्म तिथि)
प्रवेश पर अधिकतम आयु	60 वर्ष (निकटतम जन्म तिथि)
न्यूनतम बीमाधन	रू. 50,000 तत्पश्चात् रू. 5000 के गुणक में
अधिकतम बीमाधन	असीमित बीमांकनुसार
पॉलिसी अवधि (वर्षो में)	9 वर्ष / 12 वर्ष / 15 वर्ष बशर्ते कि पूर्णावधि पर 70 वर्ष की आयु से अधिक न हो
प्रीमियम भुगतान अवधि	एकल प्रीमियम
अधिकतम पूर्णावधि आयु	70 वर्ष

उपरोक्त योजना मे जोखिम तत्काल प्रारम्भ होगा।

प्रीमियम भुगतान की क्या विधि उपलब्ध है?

- एकल प्रीमियम

क्या पॉलिसी नकद मूल्य पर समर्पित की जा सकती है?

हाँ, लेकिन जोखिम प्रारम्भ तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने के पश्चात्।

समर्पित लाभ, विशेष समपर्ण मूल्य अथवा गारंटीड समपर्ण मूल्य में से जो अधिक होगा, जहाँ

- गारन्टीड समर्पण मूल्य भुगतान की गई एकल प्रीमियम के 80 प्रतिशत के तुल्य, जिसमें भुगतान किया लागू कर तथा अतिरिक्त प्रीमियम शामिल नहीं होगा।
- विशेष समर्पण मूल्य पूर्णावधि लाभ का नकद मूल्य है (जो भुगतान की गई एकल प्रीमियम, लेकिन अन्य अतिरिक्त प्रीमियम तथा लागू कर तथा एक बार गारन्टीड एडीशन, यदि कोई है, के रहित है) कंपनी विशेष समपर्ण मूल्य का गणना आधार समय-समय पर पुनः विचार कर सकती है।

क्या ऋण उपलब्ध है?

हाँ, पॉलिसी के अंतर्गत ऋण उपलब्ध है।

पॉलिसी प्रारम्भ तिथि से एक वर्ष पश्चात पॉलिसी के अंतर्गत ऋण उपलब्ध है। समर्पित मूल्य का 90 प्रतिशत ऋण उपलब्ध होगा। ऋण पर देय ब्याज दर को कंपनी द्वारा समय-समय पर पुनः निर्धारित किया जा सकता है।

पॉलिसी के क्या लाभ हैं?

मृत्यु लाभ

यदि बीमार्थी की मृत्यु पॉलिसी अवधि में हो जाती है तो पूर्ण बीमाधन तत्काल देय है चाहे जितने विद्यमानता लाभ की रकम भुगतान हो गई हो। मृत्यु लाभ भुगतान के पश्चात् पॉलिसी निरस्त हो जायेगी।

विद्यमानता लाभ:-

यदि बीमार्थी निम्नलिखित पॉलिसी वर्षगांठ तक विद्यमान रहता है तो बीमाधारक को बीमाधन का निश्चित प्रतिशत (जैसा कि निम्न तालिका मे दर्शाया गया है) विद्यमानता लाभ स्वरूप भुगतान किया जायेगा।

पॉलिसी वर्षगांठ	पॉलिसी अवधि (वर्षो मे)		
	9	12	15
3	बीमाधन का 15%	बीमाधन का 15%	बीमाधन का 15%
6	बीमाधन का 15%	बीमाधन का 15%	बीमाधन का 15%
9	-	बीमाधन का 15%	बीमाधन का 15%
12	-	-	बीमाधन का 15%

कृपया ध्यान दें उपरोक्त लाभ के अतिरिक्त निम्नलिखित पूर्णावधि लाभ भुगतान देय होगा।

पूर्णावधि लाभ:-

मात्र एकल प्रीमियम* की वापसी एक बार गारन्टीड एडीशन के साथ देय है, यदि बीमाधन रू. 80,000 के तुल्य अथवा अधिक है जो बीमाधन, जैसा कि निम्न तालिका में दर्शाया गया है, के आकार पर निर्भर होगी, यदि बीमार्थी पूर्णावधि तक विद्यमान रहता है, देय है। पूर्णावधि पर, पॉलिसी किसी शेष बीमाधन भुगतान के लिये योग्य नहीं होगी। एक बार गारन्टीड एडीशन निम्नलिखित है:-

एकल प्रीमियम* का प्रतिशत भिन्न पॉलिसी अवधि के लिये गारन्टीड एडीशन			
बीमाधन आकार (रू.)	9 वर्ष	12 वर्ष	15 वर्ष
यदि बीमाधन रू. 80,000 के तुल्य अथवा अधिक लेकिन 1 लाख से कम	3%	5%	7%
यदि बीमाधन रू. 1 लाख के तुल्य अथवा अधिक लेकिन 2 लाख से कम	5%	10%	15%
यदि बीमाधन रू. 2 लाख के तुल्य अथवा अधिक लेकिन 3 लाख से कम	10%	15%	20%
यदि बीमाधन रू. 3 लाख के तुल्य अथवा अधिक लेकिन 5 लाख से कम	15%	20%	25%
यदि बीमाधन रू. 5 लाख के तुल्य अथवा 5 लाख से अधिक है	15%	25%	30%

*उपरोक्त संदर्भित एकल प्रीमियम अन्य अतिरिक्त प्रीमियम तथा लागू कर रहित है।

कर लाभ

- पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान की गई प्रीमियम आयकर लाभ हेतु योग्य है, जो तात्कालिक आयकर अधिनियम अनुसार लागू होगें। पूर्ण विवरण हेतु कृपया अपने आयकर परामर्शदाता से परामर्श कीजिये।

लाभ उदाहरण

उदाहरण – I

बीमार्थी की आयु	35 (निकटतम जन्मतिथि)
एकल प्रीमियम***	44616
पॉलिसी अवधि	12
बीमाधन	60000

पॉलिसी वर्ष	एकल प्रीमियम	गारन्टीड मृत्यु लाभ	गारन्टीड विद्यमानता लाभ	गारन्टीड पूर्णावधि लाभ
1	44616	60000	0	0
2	0	60000	0	0
3	0	60000	9000	0
4	0	60000	0	0
5	0	60000	0	0
6	0	60000	9000	0
7	0	60000	0	0
8	0	60000	0	0
9	0	60000	9000	0
10	0	60000	0	0
11	0	60000	0	0
12	0	60000	0	44616.00

उदाहरण – II

बीमार्थी की आयु	35 (निकटतम जन्मतिथि)
एकल प्रीमियम***	385025
पॉलिसी अवधि	15
बीमाधन	500000

पॉलिसी वर्ष	एकल प्रीमियम	गारन्टीड मृत्यु लाभ	गारन्टीड विद्यमानता लाभ	गारन्टीड पूर्णावधि लाभ
1	385025	500000	0	0
2	0	500000	0	0
3	0	500000	75000	0
4	0	500000	0	0
5	0	500000	0	0
6	0	500000	75000	0
7	0	500000	0	0
8	0	500000	0	0
9	0	500000	75000	0
10	0	500000	0	0
11	0	500000	0	0
12	0	500000	75000	0
13	0	500000	0	0
14	0	500000	0	0
15	0	500000	0	500533

***प्रीमियम पर सेवाकर, सेवाकर अधिनियम के अनुसार, जो लागू होगा, देय है।

कंपनी के बीमाकंन नियमानुसार अमानक जीवनों तथा जोखिम व्यवसायों पर अतिरिक्त प्रीमियम शुल्क लिया जाएगा।

अपवाद

आत्महत्या

जोखिम प्रारम्भ होने की तिथि को या उसके बाद किन्तु पॉलिसी को तिथि से एक वर्ष पूर्ण होने से पूर्व यदि बीमित व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है चाहे मस्तिष्क की स्वस्थ अवस्था मे या तत्समय अस्वस्थ अवस्था मे हो तो यह पॉलिसी रद्द हो जायेगी। इस प्रकार की स्थित मे पॉलिसी के अंतर्गत भुगतान किया गया एकल प्रीमियम का 80% अतिरिक्त प्रीमियम तथा कर को पृथक करके बिना ब्याज के देय होगा।

फ्री लुक अवधि

बीमार्थी को यह विकल्प प्राप्त है कि पॉलिसी बाण्ड के प्राप्त तिथि से 15 दिन (30 दिन यदि पॉलिसी दूरस्थ विपणन विधि द्वारा ली गयी हो) के अन्दर यदि वह पॉलिसी की शर्तों तथा

अहर्ताओं में कोई परिवर्तन अवलोकन करता है अथवा गलत पाता है तो अस्वीकार /असहमति के कारणों का वर्णन करते हुए पॉलिसी बाण्ड वापस कर सकता है। इस स्थिति में बीमार्थी प्रीमियम राशि से, निरस्तीकरण तिथि पर, अनुपातिक जोखिम वहन प्रीमियम, स्वास्थ्य परीक्षण शुल्क तथा स्टाम्प शुल्क में जो व्यय हुए हैं, उनको घटाकर, धनराशि वापस पाने का अधिकारी है।

वैधानिक चेतावनी –

(1) इस योजना में लाभ गारन्टीड है तथा इस पृठ पर लाभ उदाहरण तालिका में स्पष्ट रूप से "गारन्टीड" चिन्हित किये है।

(2) बीमा अधिनियम 1938 (1938 का 4) की धारा 41 में जो विवरण है उसका उद्धरण बीमा उत्पाद के प्रत्येक प्रस्ताव में होना आवश्यक है - कोई भी व्यक्ति प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में किसी व्यक्ति को नई पॉलिसी लेने, नवीनीकरण करने अथवा चलाने, जिसमें किसी भी प्रकार भारत में जीवन अथवा सम्पत्ति के जोखिम का सम्बन्ध है, कोई प्रलोभन, पॉलिसी की प्रीमियम में छूट, प्रलोभन को स्वीकार करेगा, सिवाय ऐसी छूट जो बीमाकर्ता के प्रकाशित विवरण पुस्तिका एवं तालिका में वर्णित है।

(3) यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त उपधारा (2) का उल्लंघन करता है, वह आर्थिक दण्ड का उत्तरदायी होगा एवं आर्थिक दण्ड रू. 500 तक हो सकता है।

इन्श्योरेन्स एक्ट, 1938 की धारा 45 का संक्षिप्त विवरण –

कोई भी जीवन बीमा पॉलिसी उसकी आरम्भ की तिथि से दो वर्ष व्यतीत हो जाने के बाद बीमाकर्ता द्वारा उस समय तक इस आधार पर निरस्त नहीं की जायेगी कि बीमा के लिये दिये प्रस्ताव - पत्र में दिया गया विवरण या किसी डाक्टरी जाँच की रिपोर्ट में या पॉलिसीधारक के मित्र द्वारा पॉलिसी जारी करने हेतु दिये किसी प्रलेख में कुछ भी गलत या झूठ कहा गया है, जब तक बीमाकर्ता यह न सिद्ध कर दे कि विवरण एक महत्वपूर्ण मामले से सम्बन्धित था या उसने तथ्यों को छुपाया जिसे बताना आवश्यक था और उस समय बीमाधारक को यह पता था कि दिया गया विवरण झूठा या उसने तथ्यों को छुपाया जिन्हें बताना आवश्यक था।

सहारा इंडिया परिवार –

सहारा इंडिया परिवार की सफलता का इतिहास 1978 से प्रारम्भ हुआ। साधारण पूंजी से शुरूआत करके कंपनी ने आज भारत में विशाल साम्राज्य फैला रखा है। आज परिवार एक बहु आयामी व्यवसायिक संस्था बन कर वित्तीय सेवाऐं, इन्फ्रास्ट्रक्चर व हाउसिंग, मीडिया व एंटरटेनमेंट, सूचना प्राद्यौगिकी, अस्पताल, कन्जूमर प्रोडक्ट्स, निर्माण एवं सर्विसेज व ट्रेडिंग आदि में कार्यरत है।

कंपनी –

सहारा इण्डिया परिवार जीवन बीमा क्षेत्र में 30 अक्टूबर, 2004 से कार्यरत है तथा "सहारा इण्डिया लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड" निजी क्षेत्र में प्रथम पूर्णतः भारतीय जीवन बीमा कंपनी है। कंपनी का मुख्य उद्देश्य सम्पूर्ण भारत में समाज के सभी वर्ग विशेषतः ग्रामीण शोषित एवं आर्थिक रूप से कमजोर, जिन्हें जीवन बीमा द्वारा सुरक्षा की नितांत आवश्यकता है, उनको बीमा द्वारा सुरक्षा प्रदान करना है।

सम्पर्क पते एवं दूरभाष संख्या –

हमारा निःशुल्क टाल नं.– 1800 – 180 – 9000 (भा.सं.नि.लि. / म.टे.नि.लि.)

लोकल कार्पोरेट कार्यालय के नाम तथा उनके दूरभाष संख्या निम्नलिखित हैं–

आगरा - 9411876485, अहमदाबाद - 9998020301, अजमेर - 9829018573, इलाहाबाद - 9839750651, बहराइच - 9415054425, बलिया - 9936571895, बैंगलूरु - 9845234738, बस्ती - 8004915905, बरेली - 9336857557, बडौदा - 9998020310, बोकारो - 9386896841, भोपाल - 9302115594, भागलपुर - 9386741020 भुवनेश्वर - 9861048534, चंडीगढ - 9216870573, चेन्नई - 9940098809, देहरादून - 9368228050, दिल्ली - 9811571988, दरभंगा - 9386835733, देवरिया - 9415213748, फैज़ाबाद - 9935169130, फरीदाबाद - 9899805972, गोरखपुर - 9336410556, गुवाहाटी - 9435549347, हज़ारीबाग - 9431102765, हावड़ा - 9903116913, हैदराबाद - 9885279596, इंदौर - 9302780283, जबलपुर - 9303327343, जयपुर - 9414079454, जमशेदपुर - 9431133892, जोधपुर - 9829687827, कानपुर - 9415075151, खलीलाबाद - 9984499333, कोलकाता - 9007087253, कोटा - 9460981763, लखनऊ - 9335226465, लुधियाना - 9988373652, मुम्बई - 9324702769, मुज़फ्फरपुर - 9431238376, नालन्दा - 9431023510, पटना - 9334112902, रायपुर - 9893650799, राँची - 9955328893, सिलीगुड़ी - 9233472893, सिवान - 9334417334, समस्तीपुर - 9430586304, सुल्तानपुर - 9412485488, उदयपुर - 9828142452, वाराणसी - 9838128327, विशाखापट्टनम - 9848565786 ।

बीमा आग्रह की विषय – वस्तु है

URN: Saharalife/2013-14/02

सहारा इंडिया लाईफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड
कार्पोरेट कार्यालय : सहारा इंडिया सेंटर, 2, कपूरथला कॉम्पलेक्स,
लखनऊ - 226024, फोन : 0522-2337777, फैक्स : 0522-2332683
वेबसाईट : www.saharalife.com

SAHARA INDIA PARIWAR

IRDA Registration No. : 127

SAHARA INDIA Life Insurance
Chiranjivi Bhava

सहारा धनवृष्टि जीवन बीमा

एकल प्रीमियम मनी बैक एंडोमेंट। लाभरहित बीमा योजना

UIN : 127N027V01

सहारा इंडिया लाइफ इंश्योरेंस कम्पनी लिमिटेड

IRDA Registration No. : 127